न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 78/2025

बउनवान

सरकार जर्ये सुरेश कुमार मालव कृषि अधिकारी (पौ.स.) कार्यलय सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबड़ा जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री दिलराज मीणा पुत्र श्री सत्यनारायण मीणा निवासी काबरखो तह. छबड़ा जिला बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के अनुच्छेद 3

उपस्थिति :— 1. स्वयं (प्रार्थी)

2. एड. श्री चैन सिंह सिरोहिया, श्री अरविन्द कुमार पंचौली (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 17.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 को अपराह्न 01 बजे सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा ने कार्यालय में मौखिक रूप से अवगत कराया कि पुलिस थाना पाली को अवैध डीएपी उर्वरक बैचने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत निस्तारण हेतु पुलिस थाना पाली में सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा के साथ सम्पर्क किया गया तो थाना प्रभारी पाली द्वारा मौके पर श्री विक्रम सिंह कांस्टेबल एवं विनोद कुमार कांस्टेबल के साथ पहुंचें। मौके पर दिलराज पिता श्री सत्यनारायण जाति मीणा निवासी काबरखो तहसील छबडा जिला बारां के मकान पर टीन शेड के नीचे 22 बैग डीएपी पैक्ड पाये गये कट्टों पर प्रथम दृष्टतया देखने पर कट्टों के उपर इंण्डियन पोटाश लिमिटेड ब्रांड लिखा हुआ पाया गया। उक्त कार्यवाही के समय वहाँ उपस्थित कृषकों ने श्री दिलराज मीणा पिता सत्यनारायण जाति मीणा निवासी काबरखो से उपरोक्त ब्राण्ड के डीएपी उर्वरक के बैग खरीदना बताया— (1) कृषक श्री गजराज पिता श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी चांदपुरा तहसील छबडा जिला बारां 5 बैग खरीदना बताया। (2) कृषक श्री तखतसिंह पिता श्री लाल चंद जाति मीना निवासी चांदपुरा तहसील छबडा जिला बारां 04 बैग खरीदना बताया। (3) कृषक श्री नन्दकिशोर पिता श्री सीताराम जाति मीणा निवासी चांदपुरा तहसील छबडा जिला बारां 08 बैग खरीदना बताया। (4) कृषक श्री कुलदीप पिता श्री रामसिंह मीणा निवासी काबरखो तहसील छबडा जिला बारां 06 बैग खरीदना बताया। (5) कृषक श्री रामनरेश पिता श्री कन्हैया लाल मीणा निवासी चांदपुरा तहसील छबडा जिला बारां 10 बैग खरीदना बताया। (6) कृषक श्री बबलू पिता श्री वंशीलाल मीणा निवासी काबरखो तहसील छबडा जिला बारां 5 बैग खरीदना बताया।

सम्पूर्ण कार्यवाही श्री चौथमल मीणा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) छबडा, श्री विक्रम सिंह कास्टेबल पुलिस थाना पाली, श्री विनोद कुमार कांस्टेबल पुलिस थाना पाली व स्वंय दिलराज पिता श्री सत्यनारायण मीणा निवासी काबरखो तहसील छबडा जिला बारां की उपस्थिति में की गई। साथ ही उक्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी की गई।

इस संदिग्ध परिस्थित में डीएपी उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (क) से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जब्ती की कार्यवाही की गई। जब्त उर्वरक विभागीय अधिकारियों के समक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति छबडा के व्यवस्थापक श्री रामस्वरूप लोधा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सुपुर्दगी दी जा कर प्राप्ती ली गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना पाली तहसील छवडा जिला बारां में दर्ज करवाई गई तथा उक्त उर्वरक नमूने को गुणवत्ता की जॉच हेतु कार्यालय के पत्रांक 731 दिनाक 16.06.2025 द्वारा राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया । परिवादी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा जब्तशुदा उर्वरक राजसात योग्य है। श्रीमान जी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के अन्तर्गत जब्त किये गये उर्वरक को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानोनुसार उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाव इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पुर की गई है जो काविल निरस्तनीय है। प्रार्थी पर उर्वरक (खाद) 22 बैग का आरोप है, जो निराधार है। क्योंकि प्रार्थी ने उक्त खाद अपनी कृषि भूमि में डालने के लिये खरीद किया था। प्रार्थी कृषक है तथा कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी स्वयं एवं उपस्थित अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

बहस के दौरान प्रार्थी ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा जब्तशुदा उर्वरक राजसात योग्य है। अतः उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के अन्तर्गत जब्त किये गये उर्वरक को राजसात करने की कृपा करें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पर उर्वरक (खाद) 22 बैग का आरोप है, जो निराधार है। क्योंकि प्रार्थी ने उक्त खाद अपनी कृषि भूमि में डालने के लिये खरीद किया था। प्रार्थी कृषक है तथा कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान करे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में इस्तगासा का खंडन किया है परंतु अपने जवाब के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्ल्घंन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 22 बैग डीएपी कट्टों को राजसात किया जाता है। कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) छबड़ा को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा 22 बैग डीएपी कट्टों की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:19:55 IST
Reason: SelfAttested